न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–14/2005/भीलवाड़ा (2005/00001)

1. दौलत सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– चांद कंवर बैवा दौलतसिंह,
   1/2– विक्रम सिंह पुत्र दौलतसिंह,
   1/3– रामसिंह पुत्र दौलतसिंह,
   1/4– लक्ष्मणसिंह पुत्र दौलतसिंह,
   1/5– जन्मेजयदेवसिंह पुत्र दौलतसिंह,
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम आमली कालूसिंह, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. दिलीपसिंह पुत्र जयसिंह,
2. गुमानसिंह पुत्र जयसिंह,
3. गुलाबसिंह पुत्र जयसिंह,
4. शिवराजसिंह पुत्र जयसिंह,
5. लालसिंह पुत्र जयसिंह,
6. भगवानसिंह पुत्र जयसिंह,
7. मु0 विनोद कंवर पुत्री जयसिंह,
8. शैलेन्द्र सिंह पुत्र दौलतसिंह,
9. छेवराजसिंह पुत्र दौलतसिंह,
10. जेरावर सिंह पुत्र दौलतसिंह,
11. मु0 सूरज कंवर बैवा दौलतसिंह,
12. मु0 चन्द्र पुत्री दौलतसिंह,
13. मु0 बल्लभ कंवर पुत्री दौलतसिंह,
    समस्त जाति राजपूत, निवासी शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलाड़ा दिनांक 24.3.2005 अंतर्गत अपील संख्या 11/2002.

उपस्थितः–

1. श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7.
3. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 8 से 13.

निर्णय

दिनांक :– 31.5.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24. 3.2005 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आमली कालूसिंह में अपीलांट्स एवं उनके भाई भगवतसिंह, ब्रजराजसिंह एवं माता रूप कंवर तथा मृतक सोहनसिंह के खाते की संयुक्त कृषि भूमियां आराजी नंबर 497/2, 498/30 जिसके नये नंबर 936, 938, 939, 940, 941, 942 कुल किता 6 कुल रकबा 35.02 है0 के बाबत् सोहनसिंह पुत्र सबलसिंह राजपूत, द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 31.5.1978 को पंजीकृत वसीयतनामा लिखा । सोहनसिंह की मृत्यु सन् 1981 में हो गई एवं उसके बाद से सोहनसिंह के हिस्से की भूमियों पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त आज दिन तक है । अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 में सोहनसिंह के बजाय अपीलांट्स के नाम अंकित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र सुनवाई के पश्चात् नायब तहसीलदार, फुलियाकंला ने दिनांक 2.9.2002 को आदेश पारित करते हुए अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया । नायब तहसीलदार, फुलिया कंला के आदेश दिनांक 2.9.2002 के विरूद्ध अपीलांट्स ने प्रथम अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्याायलय में प्रस्तुत की । उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 24.3.2005 द्वारा अपीलांट्स की द्वितीय अपील को खारिज किया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 497/2, 498/30 जिसके नये नंबर 936, 938, 939, 940, 941, 942 कुल किता 6 कुल रकबा 35.02 है0 के खातेदार गोपालसिह

पुत्र कालूसिंह, सोहनसिंह पुत्र सबलसिंह व भगवतसिंह पुत्र गोपाल बहिस्सा बराबर संयुक्त खातेदार थे । सोहनसिंह पुत्र सबलसिंह ने स्वंय की खातेदारी की आराजी के हिस्से की दिनांक 31.5.1978 को वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दी थी जिससे उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांटस सोहनसिंह पुत्र सबलसिंह के हिस्से की आराजियात राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने का विधिक अधिकारी था तथा उक्त वसीयत के रहते उत्तराधिकारिता/विरासत के आधार पर नामांतकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था परन्तु इसके बावजूद नायब तहसीलदार, फुलियाकंला एवं अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने अधिकारिता से परे जोकर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र एवं अपील अस्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वसीयत के आधार पर नामांतकरण स्वीकृत किये जाने और नहीं किये जाने के लिये केवल नायब तहसीलदार को यह देखना था कि तथाकथित वसीयत सही है अथवा नहीं । नायब तहसीलदार को हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 63 व साक्ष्य अधि0 की धारा 68 को ध्यान में रखते हुए ही अपना निर्णय पारित करना चाहिये था । वसीयत के जरिये सोहनसिंह ने अधिक भूमि दी या नहीं के संबंध में निर्णय करने का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने भी अपीलांटस के पक्ष में की गई वसीयत के निष्पादान से इंकार नही किया है बल्कि स्वंय सोहनसिंह के उत्तराधिकारी बनकर ही आये है। रेस्पो0 हिन्दू उत्तराधिकारी अधि0 1956 के अनुसार प्रथम सूची के वारिसान नहीं है होने से उसके हिस्से की भूमि पुश्तैनी होने से वसीयत करने का अधिकार नहीं था। भाई सोहनसिंह के खाते में लिप्त आराजियात भले ही पुश्तैनी क्यों न हो लेकिन यह पुश्तैनी का सिद्धांत रेस्पो0 के लिये लागू नहीं होता है क्योंकि यह ऐतराज सोहनसिंह के पुत्र व पुत्रियां ही उठा सकते थे किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 सोहनसिंह के जायंदा पुत्र व पुत्रियां नहीं है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि यद्यपि नायब तहसीलदार, फुलियाकंला ने अपने निर्णय में यह नहीं कहा है कि भूमि पुश्तैनी होने से वसीयत नहीं की जा सकती है इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने भूमि पुश्तैनी होना मानते हुए अन्य वारिसान के हिस्से की भूमि को प्रेषित करने का अधिकार नहीं मानते हुए तथाकथित वसीयत को विधि विरूद्ध माना है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वसीयत में लिप्त आराजी सोहनसिंह के हिस्से में आई थी जो गोपालसिंह वगैरह के विरूद्ध सीलिंग अधि0 के हत अलग–अलग की गई है। सीलिंग कार्यवाही से स्पष्ट है कि विशेष खसरा नंबर की वसीयत केवल सोहनसिंह द्वारा उसके हिस्से में भूमि आने पर ही की गई थी और यह साक्ष्य लेकर निर्णित किये जाने का विषय था किन्तु दोनों अधी0न्यायालयों ने इस बिन्दु को सरसरी तौर पर केवल प्रथम दृष्टया वसीयत को देखकर ही निर्णित कर दिया जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि सोहनसिंह द्वारा छोड़ी गई आराजी, जो कि इस नामांतकरण का विवाद विषय है, को लेकर

पक्षकारान के मध्य एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में ही विचाराधीन है । उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा एवं नायब तहसीलदार, फुलियाकंला दोनों की जानकारी में यह तथ्य होने के बावजूद दोनों अधी0न्यायालयों को वाद के विचाराधीन रहते, सोहनसिंह की आराजी का नामांतकरण रेस्पो0, जो कि सोहनसिंह के उत्तराधिकारी बनकर आये है, के नाम नामांतकरण स्वीकृत करने के आदेश नहीं देने चाहिये थे । उपखण्ड अधिकारी का यह मानना कि नामांतकरण एक फिसकल उद्देश्य के लिये है, गलत है, जिसकी कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है जबकि नामांतकरण के आधार पर रिकार्ड ऑफ राईटस का इंद्राज किया जाता है जिस पर आगे चलकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है । दोनों अधी0न्यायालयों ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा एवं नायब तहसीलदार, फुलियाकंला के निर्णय दिनांक क्रमशः 24.3.2005 एवं 2.9.2002 को निरस्त किया जावे एवं सोहनसिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 31.5.1978 के आधार पर सोहनसिंह द्वारा धारित आराजी का नामांतकरण अपीलांट्स के नाम जर्द करने का आदेश प्रदान किया जावे। xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेटस संख्या 1 से 7 ने जवाब बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्यायालयों ने मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान को वसीयत पर सुनकर विरासत के आधार पर नामांतकरण के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । वसीयतग्रहिता का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं होकर कब्जा काश्त पक्षकारान का शामलाती है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि अकेले सोहनसिंह की क्रयशुदा नहीं होकर पुश्तैनी आराजियात है तथा विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से सोहनसिंह को वसीयत करने का अधिकार नहीं था । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि संयुक्त खातेदारी की आराजियात में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक आराजी पर कब्जा काश्त होता है जबकि वसीयतकर्ता ने स्पेसिफिक आराजी नंबर 497/2 रकबा 56 बीघा 13 बिस्वा संपूर्ण की वसीयत कर दी जबकि वह अपने 1/3 हिस्से तक ही वसीयत कर सकते थे । प्रश्नगत संपूर्ण भूमि की वसीयत करने का सोहनसिंह को विधिक अधिकार नहीं था । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष वसीयत के आधार पर नामांतकरण हेतु प्रार्थना किये जाने पर पटवारी हल्का ने मामले को विवादित बताया है । भू–राजस्व अधि0 की धारा 135 के अनुसार जहां वसीयत को लेकर विवाद हो वहां नामांतकरण के क्रम में प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता देनी चाहिये । अधी0न्याया0 ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अपीलांट्स का यह कथन कि पारिवारिक समझौते के अनुसार ही वसीयत की गई है जो बेबुनियाद है । बहस में आगे कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के प्रथम शिड्यूल में माता, पुत्री, पुत्र प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा द्वितीय

शि्डयूल में पिता, भाई व बहिन है। रेस्पो0 मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान है । नायब तहसीलदार, फुलियाकंला ने वसीयत के आधार पर नामांतकरण भरकर विधिक वारिसान के नाम नामांतकरण भरने के आदेश दिये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1997 पेज 68, आर0आर0डी0 2001 पेज 20, आर0आर0टी0 2006–07 पेज 153, ए0आइ0आर0 1964 पेज 136 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । xx

5- जवाब उल जवाब में विद्वान वकील अपीलांट्स ने कथन किया कि विवादित आराजियात वसीयतकर्ता की स्वअर्जित आराजियात थी जिसे वसीयत करने का पूर्ण विधिक अधिकार है । वसीयत के अनुसार रेस्पो0 को पूर्व में भूमि दे दी गई है तथा अपीलांट्स वसीयतकर्ता का दोहिता है जिसके पक्ष में की गई वसीयत विधिसम्मत् है। अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के खातेदार भगवतसिंह, दौलतसिंह, सुरेन्द्रसिंह, बृजराजसिंह पिता गोपालसिंह, मु0 रूप कंवर बेवा गोपालसिंह, सोहनसिंह पिता सबलसिंह, भगवतसिंह पिता गोपालसिंह के नाम दर्ज है । उक्त आराजियात में वसीयतकर्ता सोहनसिंह पिता सबलसिंह का 1/3 हिस्सा है । अपीलांट्स ने मृतक खातेदार सोहनसिंह पिता सबलसिंह द्वारा की गई वसीयत दिनांक 31.5.1978 के आधार पर मृतक खातेदार सोहनसिंह की आराजियात अपने नाम दर्ज करवाने हेतु नायब तहसीलदार, फुलियाकंला के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र बृजराजसिंह पुत्र गोपालसिंह, देवराज, भगवतसिंह व गुलाबसिंह ने मृतक खातेदार सोहनसिंह पिता सबलसिंह की मृत्यु होने से उसकी आराजियात का विरासत के आधार पर नामांतकरण खोले जाने का निवेदन किया । अपीलांट्स के पक्ष में सोहनसिंह द्वारा की गई वसीयत दिनांक 31.5.1978 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 497 रकबा 56 बीघा 13 बिस्वा संपूर्ण एवं खसरा नंबर 498/30 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा की वसीयत गई है । इस संबंध में जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2031–2034 के खाता संख्या 19 अनुसार विवादित आराजियात में सोहनसिंह पुत्र सबलसिंह का 1/3 हिस्सा था तथा उक्त 1/3 हिस्से अनुसार सोहनसिंह का आराजी नंबर 497/2 में 18 बीघा 17 बिस्वा तथा आराजी नंबर 498/30 रकबा 44 बीघा 9 बिस्वा में से 7 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा था किन्तु सोहनसिंह ने आराजी खसरा नंबर 497/2 की संपूर्ण आराजी रकबा 57 बीघा 17 बिस्वा की वसीयत की है जो उनके 1/3 हिस्से से अधिक भूमि की वसीयत की गई है । मृतक खातेदार सोहनसिंह को संयुक्त खाते में दर्ज भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि की वसीयत करने का विधिक अधिकार नहीं था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विववादित आराजियात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर

सभी सहखातेदारान का कब्जा काश्त है । खातेदार बिना विधिक बंटवारे के स्पेशिफिक भू–भाग को रहन, बैय, बक्शीश, वसीयत नहीं कर सकता है । हम विद्वान अधिवक्त रेस्पो0 के इस कथन से भी सहमत है कि विवादित भूमि पैतृक होने से मृतक खातेदार को अपने हिस्से से अधिक की भूमि की वसीयत करने का अधिकार नहीं था । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सजरे से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पैतृक है । भू–राजस्व अधि0 की धारा 135 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां वसीयत/गोदनामे को लेकर विवाद हो वहां नामांतकरण के क्रम में प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा ऐसे मामलों में वसीयत के आधार पर नामांतकरण से बचना चाहिये । नायब तहसीलदार, फुलियाकंला ने इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखकर मृतक खातेदार सोहनसिंह पिता सबलसिंह के विधिक वारिसान के पक्ष में विरासतन नामांतकरण खोले जाने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है ।

7- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 24.3.2005 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 14/2005 (2005/00001) बउनवानी दौलतसिंह बनाम दिलीपसिंह व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा का निर्णय दिनांक 24.3.2005 एवं नायब तहसीलदार, फुलियाकंला का आदेश दिनांक 2.9.2002 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 31.5.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर